



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012025-260251  
CG-DL-E-15012025-260251

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2025/पौष 25, 1946

No. 272]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2025/PAUSA 25, 1946

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2025

**का.आ. 274(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1443 तारीख 16/03/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के कामरूप मेट्रो जिले में NH27 के कि.मी. 146.172 से कि.मी.162.62 (डी.सी आफिस, कामरूप(मेट्रो)हेंगराबारी, गुवाहाटी, असम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 30 अप्रिल 2024 को "आमार असम " में अखोमिया भाषा और "द सेंटीनेल" में अंग्रेजी भाषा दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

असम राज्य के कामरूप मेट्रो जिले में NH-27 के कि.मी. 146.172 से कि.मी. 162.62 (डी.सी आफिस, कामरूप (मेट्रो) हेंगराबारी, गुवाहाटी, असम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: असम			जिले का नाम: कामरूप मेट्रो		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गुवाहाटी					
गांव का नाम: तेतेलिया					
1	595/9	निजी (प्राइवेट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0114	श्री अनिल राजबोंगशी पिता भुवन राजबोंगशी
2	596/374	निजी (प्राइवेट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0052	श्रीमती पारबती दास्या पति धनिया
3	597/740	निजी (प्राइवेट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0007	श्रीमती सावित्री दास्या पति रामप्रसाद दास
4	605/656	निजी (प्राइवेट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0187	रमेश ठाकुरिया पिता मतिराम ठाकुरिया
Total				0.036	

[फा. सं. NHAI/PIU/GHY/BHOOMIRASHI/PORTAL/KAMRUP(METRO) DIST/2022-23/3D]

अभय जैन, निदेशक

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2025

**S.O. 274(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1443 Dated:16/03/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-27 in the stretch of land from Km. 146.172 to Km. 162.62 (D.C OFFICE, KAMRUP (METRO) HENGRABARI, GUWAHATI, ASSAM) in the district of KAMRUP METRO in the state of ASSAM

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Amar Asom*” in Assamese Language and “*The Sentinel*” in English Language both dated **30 April, 2024**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDELE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-27 in the stretch of land from Km. 146.172 to Km. 162.62 (D.C OFFICE, KAMRUP (METRO) HENGRABARI, GUWAHATI, ASSAM) in the district of KAMRUP METRO in the state of ASSAM.**

State: ASSAM			District: KAMRUP METRO		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Guwahati</b>					
<b>Village: Tetelia</b>					
1	595/9	Private	Non Agriculture	0.0114	Sri Anil Rajbongshi s/o Bhuban Rajbongshi
2	596/374	Private	Non Agriculture	0.0052	Smt. Parbati Dasya w/o Dhaniya
3	597/740	Private	Non Agriculture	0.0007	Smt. Sabitri Dasya w/o Ramprasad Das
4	605/656	Private	Non Agriculture	0.0187	Ramesh Thakuria s/o Matiram Thakuria
<b>Total</b>				<b>0.036</b>	

[F. No: NHAI/PIU/GHY/BHOOMIRASHI/PORTAL/KAMRUP(METRO) DIST/2022-23/3D]

ABHAY JAIN, Director